



Govt. Doon Medical College, Dehradun

Office of the Principal

Phone no.0135-2726020, Fax no. 0135-2726020, 2726021, Email id: doonmedicalcollege@gmail.com

Website- www.gdmec.com

Dehrakhas, Patel Nagar, Dehradun-248001



पत्रांक:-रा0दू0मे0का0/यू0जी0 अनुभाग/प्रवेश/का0आ0/2022/5287

दिनांक: 30 सितम्बर, 2022

:- कार्यालय आदेश :-

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में NEET-UG 2022 के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2022-23 के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के लिए शासनादेश संख्या-1076/XXVIII(5)/2021-77/2013 दिनांक: 11 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-1145/XXVIII(1)2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्तों को यथावत् रखते हुए नॉन बॉन्डेड छात्र-छात्राओं हेतु निम्नानुसार शुल्कों का निर्धारण किया गया है।

नॉन बॉन्डेड (NON BONDED):

क्रम संख्या	शुल्क का नाम	प्रस्तावित शुल्क रू० में
1	शिक्षण शुल्क	1,45,000/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
2	छात्रावास शुल्क	6,000/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
3	कीड़ा शुल्क	5,000/- (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
4	विकास शुल्क	5,000/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
5	धरोहर शुल्क	10,000/- (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
6	प्रवेश शुल्क	500/- (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
	कुल योग	1,71,500/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)

- नीट काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा नियमानुसार कॉलेज छोड़े जाने की दशा में हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय/चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार कटौती कर शेष धनराशि सम्बन्धित छात्र-छात्रा के खाते में वापस की जायेगी।
- विद्यार्थियों द्वारा कुल शुल्क की धनराशि का ड्रॉफ्ट प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया हुआ ही अनुमन्य होगा, यदि उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो वह देय होगा एवं शुल्क का अन्तिम निर्धारण शासनादेशों के अनुपालन में मान्य होगा।
- एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा समय-समय पर प्रोफेशनल परीक्षाएँ आयोजित करायी जाती हैं एवं प्रोफेशनल परीक्षा हेतु अतिरिक्त परीक्षा शुल्क छात्रों को देना होता है।
- कॉलेज छात्रावास (पुरुष/महिला) में मैस की व्यवस्था है जिस हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित मैस शुल्क देना होगा। कॉलेज छात्रावास (पुरुष/महिला) में रहने वाले सभी छात्र-छात्राओं को वार्षिक छात्रावास शुल्क के साथ वार्षिक मैस शुल्क देना भी अनिवार्य है। वर्ष के अन्त में मैस बिल का समायोजन मैस कमेटी के द्वारा किया जायेगा।

(संलग्न यथोपरी)।

प्राचार्य,
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज,
देहरादून।
तददिनांक 30/09/2022

पत्रांक:-रा0दू0मे0का0/यू0जी0 अनुभाग/प्रवेश/का0आ0/2022/5287
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107 चन्दर नगर, देहरादून।
- कुलसचिव, एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
- परीक्षा नियंत्रक, एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
- वित्त नियंत्रक, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।



Govt. Doon Medical College, Dehradun

Office of the Principal

Phone no.0135-2726020, Fax no. 0135-2726020, 2726021, Email id: doonmedicalcollege@gmail.com

Website- www.gdmcuk.com

Dehrakhas, Patel Nagar, Dehradun-248001



6. प्रभारी प्रवेश प्रक्रिया, नोट यू0जी0-2022, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
7. प्रभारी, यू0जी0 अनुभाग, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
8. प्रशासनिक अधिकारी।
9. लेखा अनुभाग।
10. डिस्पैच विभाग।
11. कॉलेज नोटिस बोर्ड।
12. गार्ड फाइल।

प्राचार्य,
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज,
देहरादून।

७/८

प्रेषक

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

18531

11/12/2021

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक 11 दिसम्बर, 2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के क्रियान्वयन तथा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले नॉन बॉण्डेड एम0बी0बी0एस0 छात्रों हेतु वार्षिक शिक्षण शुल्क ₹ 04.00 लाख निर्धारित किया गया है, जो शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉण्डेड छात्र-छात्राओं हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क को कम करते हुए ₹ 1.45 लाख (एक लाख पैतालिस हजार मात्र) वार्षिक तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा शासनादेश विचार लेने की तिथि से पेशित नव प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से देय वार्षिक शिक्षण शुल्क उक्तानुसार संशोधित दर पर ही लिया जायेगा।

4- शासनादेश संख्या-1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5- यह निर्णय राज्यपाल के अद्वैतारकीय पत्र संख्या-227(म0)/XVIII(3)/2021 दिनांक 06 दिसम्बर 2021 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

दिनांक
26/6/19

संख्या-834/XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015

प्रेषक

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 26 जून, 2019

विषय:

चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र को लागू किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में एम0बी0डी0एस0 एवं एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों में रियायती शिक्षण शुल्क के एवज में राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य है। बॉण्डधारी चिकित्सकों को बॉण्ड की शर्तों के क्रम में राज्य के पर्वतीय, दुर्गम-दुरस्थ क्षेत्रों में संविदा पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति दी जाती है। वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों के कुल 2735 सृजित पदों के सापेक्ष 2056 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। अतः इस प्रकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पासआउट होने वाले चिकित्सकों से उक्त सभी रिक्त पद भर जायेंगे।

2- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र के अनुसार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर/जूनियर रेजिडेन्सी पर तब तक नहीं रखा जाता है, जब तक कि उनके द्वारा अनुबन्ध पत्र के अनुसार सेवाये दुर्गम-दुरस्थ क्षेत्रों में पूर्ण न की हों। जिस कारण राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर/जूनियर रेजिडेन्टों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र पर नॉन क्लीनिकल विषयों में पी0जी0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद उपलब्ध नहीं है।

3- उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- i- राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून और हल्द्वानी में बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
- ii- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल तथा सोहन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में छात्रों के लिए बॉण्ड की सुविधा ऐच्छिक आधार पर अनुमन्य होगी।

E:\Yashwanthi SINDRAH 2019.doc

- iii- सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ऑल इण्डिया कोटे के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए बॉण्ड अनुमन्य नहीं होगा अर्थात् वे पूर्ण शुल्क पर ही पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे।
 - iv- राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम वर्ष जूनियर रेजीडेंट, दूसरे व तीसरे वर्ष की सेवायें राज्य के दूरगम-दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, अंतिम दो वर्षों की सेवायें राज्य के जिला चिकित्सालयों/पर्वतीय/सुगम क्षेत्रों में देंगे।
 - v- नॉन क्लिनिकल विषयों के पी0जी0 पाठ्यक्रमों में चयनित छात्रों हेतु बॉण्ड की अनुमन्यता नहीं होगी, क्योंकि प्रांतीय चिकित्सा सेवा में राज्य के सुदूरवर्ती स्थानों पर अवस्थित चिकित्सालयों में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद नहीं हैं।
 - vi- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण परा-स्नातक चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी करने की अनुमति होगी एवं इस अवधि को बॉण्ड की शर्तों में उल्लिखित अवधि में सम्मिलित माना जायेगा। शेष दूसरे वर्ष की सेवायें राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में देंगे।
 - vii- बॉण्ड की धनराशि समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 4- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या-834/XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015 एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
- 6- कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।